National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 03-05-2026, Accepted: 03-06-2026, Published: 18-06-2026
Volume 11, Issue 2, 2026, Page No. 98-102

राजस्व न्यायालयों में डिजिटलीकरण की भूमिका : छत्तीसगढ़ के न्यायिक सुधारों का मूल्यांकन

राजीव लोचन तिवारी[1], डॉ. विवेक मलिक[2]
[1] शोधार्थी, कंलिगा विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
[2] शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग, कंलिगा विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/njmrd.2026.11.2.11054

सारांश
वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इस प्रभाव से छत्तीसगढ़ का राजस्व न्यायलय भी अछूता नहीं रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विविध आयाम हैं, जिसमें डिजिटलीकरण का स्थान प्रमुख है। डिजिटलीकरण का आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत दस्तावेजों में अंकित सूचनाओं को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित किया जाता है तथा दस्तावेजों पर आधारित सेवा–सुविधा का स्थान कम्प्यूटर आधारित व्यवस्था ले लेती है। डिजिटलीकरण, छत्तीसगढ राज्य के राजस्व न्यायलयों व राजस्व व्यवस्था में हुए सुधारों एवं नवाचारों की दिशा में एक प्रमुख पहल है। राजस्व न्यायलय के परिप्रेक्ष्य में डिजिटलीकरण का प्रमुख उद्देष्य राजस्व रिकार्डो को डिजिटल प्रारूप में संरक्षित करना तथा राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करते हुए उसे जन सुलभ बनाना है। यह अध्ययन छत्तीसगढ राज्य के राजस्व न्यायालयों में प्रचलित डिजिटल व्यवस्था जैसे भुइयां पोर्टल, भू–नक्शा, रिकार्ड रूम, भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन प्रबंधन, ई–कोर्ट प्रणाली, प्रकरणों की ऑन लाईन ट्रैकिंग तथा सुनवाई के लिए विकसित ऑन लाईन प्रणाली आदि का विश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त यह न्यायिक प्रक्रियाओं में आए सकारात्मक परिवर्तनों, व्यवहारिक चुनौतियों तथा सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करती है। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष उपस्थित हुआ कि उक्त परिवर्तनों के माध्यम से राजस्व रिकार्डों को डिजिटल स्वरूप दिया गया, न्यायिक दक्षता में वृद्धि हुई, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आम लोगों तक भूमि व उसके रिकार्ड से संबंधित सूचनांए एवं राजस्व न्यायलय की सुविधाओं व सेवाओं की पहुँच सरल हो गई तथा न्यायलय की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है।

मूल शब्दः डिजिटलीकरण, राजस्व न्यायालय, न्यायिक सुधार, ई–न्यायलय, पारदर्शिता, न्याय तक पहुँच

भारत में न्यायिक प्रणाली एवं न्यायिक प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध, पारदर्शी एवं जनसुलभ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जनित नवाचारों का प्रयोग किया गया। डिजिटलीकरण इन्ही नवाचारों के प्रगटीकरण का माध्यम बना। परम्परागत रूप से राज्य का राजस्व न्यायलय, राजस्व रिकार्डों के समयबद्ध संधारण या दुरस्ती की समस्या, नियमित राजस्व प्रक्रियाओं में कमी, रिकार्डों की जनसुलभता में कमी, भूमि संबंधी दस्तावेजों की सहज उपलब्धता में कमी जैसे विभिन्न समस्याओं के बीच अपने कार्यो का संपादन करता रहा है। इन्ही समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के राजस्व न्यायलयों में कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी जनित व्यवस्था की स्थापना के लिए राजस्व न्यायलयों में डिजिटलीकरण को अपनाया गया।

छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग, 33 जिले, 146 तहसील हैं, राज्य में राजस्व से संबंधित लाखों मामले प्रतिवर्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जून ''2025'' तक राजस्व न्यायालयों में लंबित ''कुल मामलों'' की स्थिति निम्नलिखित रही है– 'कुल दर्ज प्रकरण 24,80,634, कुल निराकृत प्रकरण 23,40,525, कुल लंबित मामले 1,34,411, जिनमें से अधिकतर मामले भूमि में कब्जा एवं आधिपत्य संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन व राजस्व रिकार्डो के संधारण एवं दुरस्ती से संबंधित है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालयों में ''1.34 लाख के लगभग मामले'' लंबित हैं। ऐसे स्थिति में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इन मामलों को त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से निपटाने की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी को शासन–प्रशासन का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए समूचे देश में एक विस्तृत अभियान चलाया गया, जिसे ई गर्वनेंस के नाम से जाना जाता है। इसी अभियान के परिप्रेक्ष्य में राज्य के राजस्व न्यायलयों का डिजिटलीकरण किया गया। इस दिशा में 'रेव केस नेशनल इंन्फार्मेशन सेंटर' (REVCASE national informatics centre) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत सरकार द्वारा 2008 से संचालित 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में भी राजस्व रिकार्डो के डिजिटलीकरण का कार्य अनवरत जारी है।

डिजिटलीकरण के लिए आधारभूत संरचना की निचले स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 572 राजस्व न्यायालय (ई–कोर्ट) के लिये कंप्यूटर, प्रिंटर तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा और 18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये जिलों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सर्वे–रिसर्वे, चांदा–मुनारा की पहचान सुनिश्चित करने, राजस्व न्यायालय (ई–कोर्ट) तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना के लिये भी कार्य संचालित है। सर्वांगीण अवलोकन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व न्यायलयों में डिजिटलीकरण के मुख्यतः तीन आयाम दिखाई पड़तें हैं–

1. आन लाईन राजस्व पोर्टल की स्थापना एवं उसके माध्यम से राजस्व न्यायलयों के कार्यो का संचालन यथा–राजस्व न्यायलय छत्तीसगढ़ शासन, भुईयां आदि पोर्टल।
2. भूमि संबंधी समस्त पुराने व नए रिकार्डों का डिजिटलीकरण तथा उनका यथा समय त्वरित संधारण।
3. मेबाइल ऐप के माध्यम से राजस्व न्यायलय व भूमि संबंधी सुधिाओं को जनसुलभ बनाना, यथा भुईयां, भू नक्शा ऐप आदि

डिजिटलीकरण की इस पहल से छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व न्यायलयों की न्यायिक प्रक्रिया की गति में सुधार हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया तक आम जनता की पहुँच सरल हुई है, भ्रष्टाचार के अवसरों में कमी आयी है तथा भूमि संबंधी दस्तावेजों

की सर्वसुलभता बढ़ी है। यह अध्ययन मुख्य रूप से डिजिटलीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन करता है, साथ ही डिजिटलीकरण के व्यवहारिक चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण भी करता है।

राजस्व न्यायालयों में डिजिटलीकरण की भूमिका

राजस्व न्यायालय राज्य सरकार की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। भूमि से संबंधित होने के कारण यह सहज रूप से जनमानस से जुड़ा हुआ है। राजस्व न्यायालय, भूमि में कब्जा एवं आधिपत्य संबंधी विवाद, भू–उपयोग से संबंधित विवाद, भू–अभिलेखों का संधारण, अविवादित बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन आदि मामलों की सुनवाई व उसका निराकरण करती है। राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व व्यवस्था के परम्परागत प्रणाली में आयी चुनौतियों को दूर करने के लिए, विलंबकारिता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड–प्रबंधन की समस्या को कम करने तथा राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व व्यवस्था को वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने के लिए डिजिटलीकरण को एक प्रभावी साधन के रूप में अपनाया गया है। राज्य के राजस्व न्यायालयों एवं उससे संबंधित सभी क्षेत्रों का व्यापक रूप से डिजिटलीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए डिजिटलीकरण के प्रमुख आयाम निम्न हैं:–

1. **ई–कोर्ट पोर्टल:** 'राजस्व न्यायलय छत्तीसगढ़' नाम से कार्यरत पोर्टल एवं ऐप में राजस्व बोर्ड से लेकर नायब तहसीलदार तक के न्यायलय पंजीबद्ध है। इस पोर्टल में राजस्व प्रकरणों के पंजीयन से लेकर अंतिम निराकरण तक की समस्त कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गयी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन, नागरिक सुविधाएं, प्रतिवेदन, नियम अधिनियम–परिपत्र की जानकारी, पीठासीन अधिकारियों के संम्पर्क सूत्र अदि शामिल हैं। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी राजस्व न्यायलय के अद्यतन वाद की सूची, प्रकरणों की प्रकरण क्रमांक वार, दिनांक वार, शीर्ष वार, सुनवायी तिथि वार, आवेदक–अनावेदक वार जानकारी तथा विचाराधीन प्रकरण की तिथिवार कार्यवाही विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी न्यायलयों या किसी न्यायलय में दर्ज किए प्रकरणों की शीर्षवार कुल संख्या, उसमें से निराकृत, स्थगित व लंबित प्रकरणों की संख्या भी इस पोर्टल में उपलब्ध है।

2. **भुइंया:** इस पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से नागरिकों को विविध सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें कृषि भूमि, नजूल व परिवर्तित भूमि धारण करने वाले भूमि स्वामी एवं भू धारक का संक्षिप्त विवरण, भूधृति के स्वरूप का विवरण, उनके द्वारा धारित भूमि के क्षेत्रफल का विवरण, कृषि भूमि का खसरा पी–।। एवं खतौनी बी–। का विवरण, नजूल संधारण एवं पविर्तित भूमि के संधारण खसरे की जानकारी, नजूल भूमि के नवीनीकरण की तिथि, बैंक बंधक की स्थिति, गिदावरी का ग्रामवार व कृषकवार प्रतिवेदन, फसल विवरण, सिंचाई के साधन की जानकारी शामिल है तथा विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के डाउनलोड की सुविधा भी है। इसके अतिरिक्त कृषक या भूस्वामी नागरिक पंजीयन के माध्यम से अपने स्वामित्व के समस्त भूमि का पंजीयन करके अपना व्यक्तिगत एकाउंट भी बना सकते है।

3. **भू नक्शा:** खसरे एवं ग्राम के भू नक्शा का परीक्षण एवं उसको डाउललोड किए जाने से संबंधित सेवाएं इस पोर्टल व ऐप के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस पोर्टल में पूरे प्रदेश में स्थित राजस्व ग्रामों के राजस्व नक्शे अपलोड किए गए हैं, जिसका स्वतत्रता पूर्वक अवलोकन किया जा सकता है तथा खसरे वार नक्शे का प्रिंट निकालने की सुविधा भी है।

4. **डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन:** डिजिटलीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम पुराने भू–अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित व सुरक्षित किया जाना तथा उसे आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया जाना रहा है। इसी क्रम में ऑन लाइन 'रिकार्ड रूम' नामक पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के समस्त राजस्व ग्राम के पुराने भू–दस्तावेज ग्रामवार उपलब्ध कराए गए हैं। इन दस्तावेजों में मिसल रिकार्ड, अधिकार अभिलेख, निस्ताार पत्रक, चकबंदी एवं वाजिबुल अर्ज उल्लेखनीय है। इन रिकार्डों का ऑनलाइन अवलोकन किए जाने के साथ प्रिंट निकालने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

5. **डिजिटलीकरण संबंधी नवाचार:** इन नवाचारों में 'जियो रिफरेंसिंग' उल्लेखनीय है। इसके अन्तर्गत उपग्रह एवं अन्य सूदूर संवेदी उपकरण से प्राप्त जानकारी की सहायता से सम्पूर्ण राजस्व भूमि का सर्वे–रिसर्वे किया जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित इस प्रक्रिया से वास्तविक भूमि का चिन्हांकन आसान हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के भूमि के मापन का स्केल पैमाना 1:500 रखा जाएगा जिससे छोटे से छोटे भू खण्ड को भू नक्शे में आसानी से दर्ज किया जा सकेगा। छत्तीसगढ राज्य में यह कार्य डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तथा नक्शा परियोजना के निर्देशानुसार किया जा रहा है। नागरिको को प्रदान की जाने वाली आधार संख्या की भांति भूमि का आधार नंबर यू एल पिन नंबर दिए जाने की भी योजना है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भू धारक को भू आधार कार्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व न्यायालयों की वर्तमान संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
2. राजस्व न्यायालयों में अपनाए गए डिजिटलीकरण के उपायों एवं तकनीकी नवाचारों की पहचान करना।
3. डिजिटलीकरण के कारण राजस्व मामलों की सुनवाई, निपटान और पारदर्शिता पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. राजस्व न्यायालयों में डिजिटलीकरण के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।
5. न्यायिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को और अधिक जनसुलभ एवं पारदर्शी बनाने की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता

कम्प्यूटर व इंटरनेट आधारित सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास एवं इसकी उपयोगिता के कारण डिजिटलीकरण स्वाभाविक रूप से न्यायिक कार्य प्रक्रिया के लिए अपरिहार्य हो गया। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन जनित परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट हो गई। इस दौरान भारतीय न्यायपालिका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई–फाइलिंग जैसी डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करके मामलों की सुनवाई की, जिससे पारंपरिक न्याय प्रणाली के लिए डिजिटलीकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

और टेलीप्रेजेंस जैसी तकनीकों से कागजरहित और भीड़मुक्त अदालतों की अवधारणा भी साकार हो सकती है। इससे न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम होगा। ''स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत सरकार'' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग को जनहित में आवश्यक माना है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है, लेकिन इसके लिए उचित दिशा–निर्देश पहले बनाए जाने चाहिए।

कोविड काल में सुप्रीम कोर्ट (सी.जो.आई. बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस राव) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को नियमित बनाने के निर्देश दिए। कई उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों ने वर्चुअल सुनवाई करके मामलों का निपटारा किया है। यदि इस तकनीक को सही रणनीति के साथ लागू किया जाए, तो यह मुकदमों के बोझ को कम करने और न्यायालयों का समय बचाने में मददगार साबित हो सकती है। न्यायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन, विलंबित न्याय की समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। ई–अदालतों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रबंधन, ई–रजिस्ट्री को कानूनी मान्यता और नवीनतम तकनीकों के प्रति जन जागरूकता व सजगता आवश्यक है।

अध्ययन का महत्व

''राजस्व न्यायालयों में डिजिटलीकरण'' की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ''न्यायिक सुधारों'' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटलीकरण से होने वाले लाभों को निम्न रूप में व्यक्त कर सकतें हैं :–

1. **कार्यक्षमता में वृद्धि:** डिजिटलीकरण से मामलों की सुनवाई, दस्तावेज़ीकरण और आदेश पारित करने की प्रक्रिया तेज़ और अधिक सुगम हो जाती है।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ऑनलाइन रिकॉर्ड और केस ट्रैकिंग सिस्टम से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है तथा आम जनता का न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ता है।

3. **सुलभता में सुधार:** ग्रामीण और दूर–दराज़ के क्षेत्रों के नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे न्याय एवं न्यायिक प्रक्रिया सुलभ होती है।

4. **रिकॉर्ड प्रबंधन:** पुराने कागज़ी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से उनके सुरक्षित रख–रखाव और शीघ्र पुनःप्राप्ति में सुविधा होती है।

5. **विवाद निवारण की गति:** राजस्व केसों के निस्तारण में विलंब एक प्रमुख समस्या रही है, जिसे ई–न्यायलय की सहायता से कम किया जा सकता है।

6. **नीतिगत सुधार में सहयोग:** डिजिटलीकृत डेटा नीति निर्माताओं को ज़मीन से जुड़ी समस्याओं और प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

राजस्व न्यायलययों में डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है हालांकि, इस दिशा में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने उपस्थित हो रही है–

1. **तकनीकी संसाधनों की सीमाएँ:** दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में अब भी इंटरनेट कनेक्शन, बिजली, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिससे डिजिटल प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करना मुश्किल हो जाता है।

2. **डिजिटल ज्ञान की कमी :** कई न्यायलयीन कर्मचारी, वकील और आम नागरिक डिजिटल तकनीक से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं, जिससे नए सिस्टम का उपयोग करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विशेश रूप से वृद्ध और कम शिक्षित एवं ग्रामीण लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं।

3. **सूचना सुरक्षा और साइबर जोखिम :** जैसे–जैसे अदालतों के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहे हैं, वैसे–वैसे डाटा चोरी, हैकिंग और अन्य साइबर हमलों की आशंका भी बढ़ रही है।

4. **उच्च लागत और तकनीकी रखरखाव :** डिजिटल प्रणाली को शुरू करने, उसे चलाने और नियमित रूप से अपडेट करने में काफी खर्च आता है, जो सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में एक बड़ी बाधा बन सकता है।

5. **डिजिटल असमानता :** हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या कंप्यूटर जैसी डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, जिससे कुछ वर्गों को न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6. **प्रारंभिक समस्याएँ और प्रतिरोध :** परंपरागत कागजी प्रक्रिया से डिजिटल प्रणाली में परिवर्तन के दौरान तकनीकी खामियाँ, डेटा एंट्री में गलती और कर्मचारियों द्वारा नई प्रणाली को स्वीकारने में हिचकिचाहट जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं।

राजस्व न्यायलययों में डिजिटलीकरण की सीमाएँ

1. राज्य में डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय अंतर के कारण कई स्थानों पर प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है।
2. राजस्व न्यायालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों को डिजिटल प्रणाली से काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की कमी है।
3. अब भी कई मामलों में पुराने दस्तावेजों एवं पारंपरिक रिकॉर्ड पर निर्भरता है, जिससे पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली अपनाना कठिन होता है।
4. तकनीकी समस्याएँ डेटा एंट्री की गलतियाँ, सिस्टम फेल होना और तकनीकी गड़बड़ियाँ कार्य में बाधा डालती हैं।
5. साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और गोपनीयता बनाए रखना भी प्रमुख चिंता का विषय है।
6. सीमित बजट और रणनीतिक दीर्घकालिक योजना और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया सतत नहीं रह पाती।

साहित्य की समीक्षा

- कमारा अबू कल एवं कमारा शरीफ (2023), प्रस्तुत शोध अध्ययन में, "कर प्रशासन में डिजिटल सुधारों के क्रियान्वयन और लाभ का अध्ययन : सिएरा लियोन की राष्ट्रीय राजस्व प्राधिकरण (NRA)," इस अध्ययन का उद्देश्य "सिएरा लियोन की राष्ट्रीय राजस्व प्राधिकरण (NRA) द्वारा कर प्रशासन में किए गए डिजिटलीकरण सुधारों के क्रियान्वयन और उनके आर्थिक, संस्थागत तथा प्रशासनिक लाभों का विश्लेषण करना रहा है।" इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि डिजिटलीकरण और कर प्रशासन सरकार के राजस्व

को बढ़ाकर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। यह प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, आयात प्रतिस्थापन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। कस्टम सुधारों से व्यापार प्रक्रियाएं सरल होती हैं और पारदर्शिता बढ़ती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने से कर संग्रहण, रिपोर्टिंग और सेवाओं में सुधार होता है, साथ ही कर चोरी और भ्रष्टाचार में कमी आती है। तकनीक के साथ–साथ करदाताओं की भागीदारी और सहयोग भी आवश्यक है, जिससे कर अनुपालन और प्रवर्तन प्रभावी हो सके।

- गफ्फार, हफीज (2024), प्रस्तुत शोध अध्ययन में, "न्याय प्रणाली में डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव : एक सामाजिक–वैधानिक दृष्टिकोण," इस अध्ययन का उद्देश्य "न्याय प्रणाली में डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभावों का सामाजिक–वैधानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये तकनीकी परिवर्तन न्याय तक समतुल्य, सुलभ और प्रभावी पहुँच प्रदान करते हुए विधिक और नैतिक संतुलन बनाए रखें।" इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि न्याय प्रणाली का डिजिटल रूपांतरण विधिक ढाँचों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अनिवार्य कदम है, परंतु यह तभी सार्थक होगा जब इसे विधिक समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित एक समावेशी दृष्टिकोण से अपनाया जाए। इन तकनीकों का न्यायिक प्रणाली में सफल समावेश केवल तकनीकी क्षमता पर ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक–वैधानिक ढाँचों पर भी निर्भर करेगा जो इनका समर्थन करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि न्याय का डिजिटलीकरण न केवल विधिक प्रणालियों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करे, बल्कि "कानून और समाज" के मूलभूत सिद्धांतों को भी बनाए रखे।
- सिमोन, द लिआ एट ऑल (2023), अध्ययन शीर्षक, "डिजिटल क्रांति, सतत विकास और सरकारी राजस्वः डिजिटल रूपांतरण एवं सतत प्रथाओं द्वारा सतत सरकारी राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक विश्लेषण," इस अध्ययन का उद्देश्य "यूरोपीय संघ में डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास के समग्र प्रभावों का विश्लेषण करना है, तथा यह समझना है कि ये दोनों शक्तियाँ किस प्रकार समग्र सरकारी राजस्व को प्रभावित करती हैं, जिससे आर्थिक एवं वित्तीय सततता सुनिश्चित की जा सके और नीतिगत निर्णयों के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया जा सके।" इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास, यूरोपीय संघ में सरकारी राजस्व वृद्धि के दो प्रमुख आधार बन सकते हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटलीकरण और सतत प्रथाओं में निवेश न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि हरित तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से राजस्व को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इन जटिल संबंधों को ध्यान में रखते हुए, सदस्य देशों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियाँ बनानी चाहिए ताकि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और उसकी निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- मातोउस्कोवा, दाना (2022), अध्ययन शीर्षक, "डिजिटलीकरण और व्यवसाय पर इसका प्रभाव," इस अध्ययन का उद्देश्य "डिजिटल तकनीकों द्वारा उत्पन्न अवसरों और व्यवधानों का विश्लेषण करना, यह समझना कि ये तकनीकें व्यापार, समाज और पेशेवर जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, तथा यह मूल्यांकन करना कि इनका संतुलित उपयोग नवाचार को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक व व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है।" इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि डिजिटल तकनीकों ने विकास और नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं, जिससे व्यापारिक दक्षता, सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव में वृद्धि हुई है। यद्यपि, इनके तीव्र विस्तार से व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक स्तर पर अनेक व्यवधान भी उत्पन्न हुए हैं। इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों को बनाए रखते हुए इसके नकारात्मक पक्षों से निपटने के लिए संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण आवश्यक है।
- अटैक, एल हुसैन, एट ऑल (2022), अध्ययन शीर्षक, ''डिजिटल कराधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और टैक्स प्रशासन 3.0: कर अनुपालन व्यवहार में सुधार : टेक्स्टोमेट्री का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा (2016–2023)," इस अध्ययन का उद्देश्य "2016 से 2023 तक के बीच कर प्रशासन पर डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव का विश्लेषण करना, विशेष रूप से कर अनुपालन में सुधार, कर चोरी/परिहार में कमी और प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में इनकी भूमिका पर केंद्रित रही है।" यह समीक्षा (2016–2023) दर्शाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल इनवॉइसिंग जैसी तकनीकें वैश्विक कर प्रणालियों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और धोखाधड़ी रहित बनाकर विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को लाभ पहुँचा रही हैं। हालांकि विकासशील देशों में अब भी नियामकीय कमियाँ, संसाधनों की कमी और संस्थागत अविश्वास जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस अध्ययन में डिजिटल कर प्रणाली को अपनाने के लिए सटीक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालाँकि अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक है, लेकिन इसमें SPSS जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग जैसे प्रमुख शब्दों की आवृत्ति विश्लेषण, क्षेत्रीय तुलना, वर्णनात्मक आंकड़े और सहसंबंध विश्लेषण करके अधिक सटीक और उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। SPSS इन पैटर्नों को समझने में मदद करता है, जिससे साक्ष्य–आधारित कर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं।

शोध अंतराल

उपरोक्त शोध अध्ययन पत्रों के अनुसार प्राप्त शोध अंतरात विकासशील देशों में डिजिटल कर प्रशासन और न्यायिक डिजिटलीकरण पर हुए अधिकांश शोध आर्थिक और तकनीकी लाभों पर केंद्रित रहे हैं, जबकि डिजिटल साक्षरता, सामाजिक विश्वास और पारदर्शिता जैसे सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं की उपेक्षा की गई है (कमारा अबू कल एवं कमारा शरीफ, 2023; अटैक एट ऑल, 2022)। न्याय प्रणाली में AI और डिजिटल तकनीकों के व्यावहारिक प्रभावों पर भी डेटा–आधारित शोध सीमित है (गफ्फार, हफीज, 2024)। डिजिटलीकरण और सतत विकास के अंतःसंबंधों का अध्ययन मुख्यतः विकसित देशों तक सीमित है, जिससे क्षेत्रीय तुलनात्मकता की कमी दिखती है (सिमोन एट ऑल, 2023)। साथ ही, डिजिटल असमानता, डेटा सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे सामाजिक प्रभावों पर दीर्घकालिक अध्ययन की आवश्यकता है (मातोउस्कोवा, 2022)। ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी AI तकनीकों की तुलनात्मक दक्षता और उपयोगिता पर भी शोध अधूरा है (अटैक एट ऑल, 2022)।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों के डिजिटलीकरण ने न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई–कोर्ट प्रणाली, ऑनलाइन प्रकरण ट्रैकिंग, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी तकनीकी

प्रयासों के माध्यम से मामलों के निष्पादन में गति आई है, जिससे पक्षकारों की न्यायिक जानकारी तक शीघ्र और सरल पहुँच हो सकी है। न्यायिक प्रक्रिया में सूचना–संचार के तकनीकी का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के समुदायों के लिए लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि इससे स्थान, समय और आवागमन में होने वाले खर्च जैसी पारंपरिक बाधाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि डिजिटलीकरण की सफलता केवल तकनीक की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नागरिकों की डिजिटल साक्षरता, बुनियादी तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक स्वीकृति जैसे तत्व भी आवश्यक हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर पहुँच, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और जनता में जागरूकता के अभाव जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं, जो डिजिटलीकरण के प्रभाव को सीमित करती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालयों में डिजिटलीकरण एक सार्थक और आवश्यक न्यायिक सुधार के रूप में उभरा है, परंतु इसकी व्यापक सफलता हेतु नीति–निर्माताओं, प्रयोगकर्ताओं व हितबद्ध व्यक्तियों के निरंतर प्रशिक्षण, आधारभूत ढाँचे के विस्तार और नागरिक सहभागिता को सशक्त बनाने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रतन ज्योति एवं रतन विजय (2022), भारत में न्याय प्रशासन के कायापलट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका : एक कानूनी अध्ययन. Indian Journal of Public Administration, 69(1) : पृष्ठ क्रमांक–65.
2. https://revenue.cg.nic.in/revcase/
3. https://hindi.oneindia.com/news/chhattisgarh/revenue-courts-of-chhattisgarh-will-be-computerized-chanda-munara-will-be-established-894487.html?utm_source=chatgpt.com
4- https://s3-us-west-2.amazonaws.com/visionresources/magazine/60562-october-2022.pdf
5. वर्मा क्षितिज (2018), ई–कोर्ट परियोजना : भारतीय न्यायपालिका की एक बड़ी छलांग. Journal of Open Access to Law, 6(1) : पृष्ठ क्रमांक–5.
6. कमारा, अबू कल एवं कमारा, शरीफ (2023), कर प्रशासन में डिजिटल सुधारों के क्रियान्वयन और लाभ का अध्ययन : सिएरा लियोन की राष्ट्रीय राजस्व प्राधिकरण (NRA). Open access library journal, 10(e9767) : पृष्ठ क्रमांक–15.
7. गफ्फार, हफीज (2024), न्याय प्रणाली में डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव : एक सामाजिक–वैधानिक दृष्टिकोण. Internationall journal of law : law and world, 10(3) : पृष्ठ क्रमांक–154–177.
8. सिमोन, दलिआ एट ऑल (2023), डिजिटल क्रांति, सतत विकास और सरकारी राजस्व : डिजिटल रूपांतरण एवं सतत प्रथाओं द्वारा सतत सरकारी राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक विश्लेषण. Multidisciplinary digital publishing institute, 11(546) : पृष्ठ क्रमांक–15.
9. मातोउस्कोवा, दाना (2022), डिजिटलीकरण और व्यवसाय पर इसका प्रभाव. Digitalization and Its impact on business, 18(2) : पृष्ठ क्रमांक–51–67.
10. अटैक, एल हुसैन, एट ऑल (2022), डिजिटल कराधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और टैक्स प्रशासन 3.0: कर अनुपालन व्यवहार में सुधार : टेक्स्टोमेट्री का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा (2016–2023). Accounting Research Journal, 18(2) : पृष्ठ क्रमांक–18.
11. कुमारी अर्चना एवं कुमारी वंदना (2020), भारत में न्यायालयों का डिजिटलीकरणः एक आलोचनात्मक मूल्यांकन. International Journal of Legal Science & Innovation, 2(1) : पृष्ठ क्रमांक–87.
12. जैन ऋचा और चौधरी सार्थक (2021), आभासी न्यायालयों का पुनर्जागरण : डिजिटल युग की ओर. International Journal of Law Management & Humanities, 4(3) : पृष्ठ क्रमांक–5726.
13. तिवारी रकेश कुमार और सिंह अमन (2020), डिजिटलीकरण – भारतीय न्यायपालिका का नया युग. Journal of Social Sciences and Humanities, 6(3) : पृष्ठ क्रमांक–198.
14. राव श्रीकृष्ण देव (2024), न्यायपालिका में सुधार : भारतीय अनुभव से सबक. Shodh Sagar Indian Journal of Law, 2(5) : पृष्ठ क्रमांक–59.
15. https://ecommitteesci.gov.in/project/status-of-computerization-in-the-hc/
16. भटनागर मोहित एवं हुच्चनवर शिवराज (2023), ऑटोएमएल और डिसीजन फॉरेस्ट का उपयोग करके भारतीय निचली अदालतों में देरी की भविष्यवाणी करना. Research gate, पृष्ठ क्रमांक–3.
17. गोपाल जी. मोहन (2024), भारत में न्याय तक पहुंच पर न्यायिक सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन. Indian Journal of Law, 2(5) : पृष्ठ क्रमांक–35.
18. कुमारी अरूणिता और सक्सेना कविता (2019) भारत में डिजिटलीकरण और डिजिटल शासन : वित्तीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विशेष संदर्भ में. Journal of Commerce and Trade, XIV(1) : पृष्ठ क्रमांक–50.